

प्रेषक

महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

हरियाणा राज्य में सभी आयुक्त एवं उपायुक्त।
हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष।
हरियाणा राज्य में सभी निगमों/बोर्डों के प्रबन्धक निदेशक/मुख्य प्रशासक।
उप-नियन्त्रक, किराया, चण्डीगढ़ प्रशासन, चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक -टीए-हर-18टी-2025/

दिनांक:

विषय:-

श्री राजेश मिगलानी, मुख्य लेखाधिकारी के हक में बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करने
बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

श्री राजेश मिगलानी, मुख्य लेखाधिकारी ने वित्त विभाग, पेंशन शाखा, हरियाणा
सिविल सचिवालय से 58 वर्ष की आयु उपरान्त दिनांक 31.03.2026 को सरकारी सेवा से
सेवानिवृत्त होना है। आपसे अनुरोध है कि इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर-अन्दर
इस विभाग को सूचित करने का कष्ट करें उनके विरुद्ध आपके पास किसी प्रकार के
कोई ड्यूज तो नहीं है। अन्यथा सेवा निवृत्ति उपरान्त यदि कोई मामला प्राप्त होता है तो
आपका विभाग स्वयं जिम्मेवार होगा।

sd/-

अधीक्षक

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक -टीए-हर-18टी-2025/ 8714

दिनांक: 17/12/2025

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, वि० ले० शाखा।
2. वित्त विभाग, पेंशन शाखा, हरियाणा सिविल सचिवालय।
3. प्रोग्रामर, खजाना तथा लेखा विभाग को भेजते हुए लिखा जाता है कि इसे कार्यालय की
साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

1

अधीक्षक

कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।